

राज्य सेवा परीक्षा

ऐच्छिक विषय

12. विधि

प्रश्न पत्र प्रथम

1. भारत की संवैधानिक विधि :

- (1) संविधान की भूमिका
- (2) मूल अधिकार
- (3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त
- (4) राष्ट्रपति तथा उनकी शक्तियां, राज्यपाल तथा उनकी शक्तियां
- (5) राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों की उद्घोषणा
- (6) विधायी शक्तियों का विभाजन
- (7) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय
- (8) सिविल सेवकों को सुरक्षा
- (9) संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग
- (10) संविधान में संशोधन
- (11) लोक हित में मुकदमेबाजी

2. प्रशासनिक विधि :

- (1) प्रत्यायोजित विधान जिसमें उसका न्यायिक तथा संसदीय नियंत्रण सम्मिलित हो
- (2) नैसर्गिक न्याय तथा औचित्य या निष्पक्षता का सिद्धान्त
- (3) प्रशासनिक न्यायाधिकरण
- (4) लेख (रिट) - परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, अधिकार पृच्छा लेख ।
- (5) औम्बजमैन-लोकपाल, लोक आयुक्त तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग

3. छत्तीसगढ़ भू-विधि :

- (1) भूमि तथा भू-राजस्व

- (2) राजस्व अधिकारी तथा उनकी शक्तियां
- (3) सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त
- (4) भू-राजस्व का निर्धारण
- (5) अधिकार अभिलेख
- (6) भूधारी उनके अधिकार तथा दायित्व

प्रश्न पत्र द्वितीय

अपराध विधि :

(एक) भारतीय दंड संहिता

- (क) परिभाषायें, विस्तार एवं प्रयोज्यता
- (ख) आपराधिक दायित्व के सामान्य अपवाद
- (ग) संयुक्त तथा रचनात्मक दायित्व (धारा 34, 114, 149)
- (घ) सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध
- (ङ) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध
- (च) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध
- (छ) प्रयास

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता

- (1) प्रारंभिक विचार, विस्तार, प्रयोज्यता, परिभाषा आदि
 - (2) न्यायालयों का गठन
 - (3) न्यायालयों की शक्तियां
- (4) (क) पुलिस, गिरफ्तार करने, तलाशी लेने तथा सम्पत्ति जब्त करने की शक्ति
(ख) अपराधों की रोकथाम
- (5) जनकर्तव्य
- (क) पुलिस तथा मजिस्ट्रेट की सहायता करना
 - (ख) कतिपय अपराधों के बारे में सूचना देना
- (6) बन्दी बनाए गए व्यक्तियों के अधिकार
- (क) गिरफ्तारी के कारणों को जानना
 - (ख) जमानत
 - (ग) बिना विलम्ब के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना
 - (घ) न्यायिक जांच के बिना 24 घंटों से अधिक निरुद्ध न रखना

(ड) विधि व्यवसायी से परामर्श लेना

(च) चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच किया जाना

(7) गिरफ्तारी से संबन्धित उपबन्धों का पालन न करने के परिणाम

(8) अनिवार्य उपस्थिति के लिए आदेशिकाएं

(क) सम्मन

(ख) गिरफ्तारी का वारंट

(ग) विज्ञप्ति तथा कुर्की

(घ) आदेशिकाओं से संबंधित अन्य नियम

(9) अनिवार्य रूप से वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण की आदेशिकाएं

(क) सम्मन

(ख) तलाशी

(ग) जब्ती

(10) तलाशी में की गई अनियमितताओं तथा अवैधताओं के परिणाम

(11) पुलिस को सूचना, जांच-पड़ताल करने की उनकी शक्तियां

(12) तहकीकात तथा न्याय जांच में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

(13) कार्यवाही संस्थित करने के लिए पर्याप्त शर्तें .

(14) मजिस्ट्रेटों को की गई शिकायतें तथा मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्रवाई की शुरुआत ।

(15) आरोप

(16) न्याय जाँच का प्रकार (परीक्षण)

(अ) सत्र-न्यायालय के समक्ष

(आ) मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामले ।

(क) पुलिस प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्यथा संस्थित मामले ।

(ख) पुलिस प्रतिवेदन पर संस्थित मामले ।

(ग) न्याय जांच का निष्कर्ष

(इ) सम्मन मामले

(क) मजिस्ट्रेटों द्वारा न्याय जांच की प्रक्रिया

(ख) संक्षिप्त न्याय-जांच (परीक्षण)

(17) तहकीकात तथा न्याय - जांच में साक्ष्य

(18) तहकीकात तथा न्याय - जांच में सामान्य उपबन्ध ।

- (क) परिसीमन की अवधि (अध्याय 36)
- (ख) अन्य दोषमुक्ति तथा अन्य दोष सिद्धि ।
- (ग) अपराधों की शमनीयता
- (घ) अभियोजन से प्रत्याहार (वापसी)
- (ङ) सह अपराधी को क्षमादान ।
- (च) राज्य के खर्च पर अभियुक्त को विधिक सहायता

- (19) जमानत
- (20) फैसला ।
- (21) अपील ।
- (22) संदर्भ, पुनरीक्षण तथा अन्तरण ।
- (23) पत्नियों, बच्चों तथा माता-पिता का भरण-पोषण।

(तीन) दुष्कृति की विधि

- (1) उपेक्षा ।
- (2) उपद्रव (अपदूषण)
- (3) हमला (प्रहार)
- (4) मार-पीट (संप्रहार)
- (5) मानहानि ।
- (6) राज्य दायित्व सहित प्रतिनिहित दायित्व ।

(चार) वाणिज्य विधि

संविदा विधि के सामान्य सिद्धान्त, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 1 से 75, क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, उपनिधान (बंधक), गिरवी तथा एजेन्सी की विधि । माल विक्रय विधि, भागीदारी विधि ।

Syllabi for optional subjects

12. LAW

PAPER - I

1. Constitutional Law of India

- 1. Preamble to the Constitution
- 2. Fundamental Rights.
- 3. Directive Principles of State Policy.
- 4. President and his powers, Governor and his Powers.

5. Promulgation of ordinances by the President and Governor.
6. Distribution of Legislative powers.
7. Supreme Court and the High Court.
8. Protection to civil servants.
9. Union and State Public Service Commission.
10. Amendment of the Constitution.
11. Public Interest Litigation.

2. Administrative Law

1. Delegated Legislation including its Judicial and parliamentary control
2. Principles of natural justice and Fairness.
3. Administrative Tribunals.
4. Writs -Mandamus, Certiorari, prohibition , Habeus corpus and Quo-warranto.
5. Ombudsman-Lokpal, Lok Ayukta and Central Vigilance Commission .

3. Land Law of Chhattisgarh

1. Land and Land Revenue.
2. Revenue Officers and their powers.
3. Survey and Settlement.
4. Assessment of Land Revenue.
5. Record of Rights.
6. Tenure holders-their rights and obligations.

PAPER - II

Law of Crimes

(I) Indian Penal Code

- (a) Definitions: Extent and applicability of I.P.C.
- (b) General Exception to Criminal Liability.
- (c) Joint and Constructive Liability (SECTION 34,114, 149)
- (d) Offences against public tranquility .
- (e) Offence against human body.
- (f) Offences against property.
- (g) Attempt.

(II) Criminal Procedure Code

- (1) Preliminary consideration Extent, Applicability. Definition etc.
- (2) Constitution of Courts.
- (3) Powers of Courts.

- (4) (a) Police, Power of arrest, Search and Seizure of property,
(b) Prevention of Crimes.

- (5) Duty of Public :-
 - (a) To assist Police and Magistrate.
 - (b) To give information about certain offences.

- (6) Rights of arrested persons:-
 - (a) To know grounds of arrest.
 - (b) Bail
 - (c) To be produced before the Magistrate without delay
 - (d) Detention of not more than 24 hours without judicial scrutiny.
 - (e) To consult legal practitioner.
 - (f) To be examined by the medical practitioner.

- (7) Consequences of non-Compliance with provisions relating to arrest.

- (8) Processes to compel appearances :-
 - (a) Summons.
 - (b) Warrant of arrest.
 - (c) Proclamation and attachment.
 - (d) Other rules regarding processes.

- (9) Processes to compel production of things -
 - (a) Summons.
 - (b) Search.
 - (c) Forfeiture.

- (10) Consequences of irregularities and illegalities in search.
- (11) Information to police, their powers to investigate.
- (12) Jurisdiction of the Courts in inquiry and trial.

(13) Conditions requisite for initiation of proceedings.

(14) Complaints to magistrates and commencement of proceedings. before magistrates.

(15) Charge.

(16) Type to trial :

(A) Before Court of Sessions.

(B) Warrant cases by magistrates :-

(a) Cases instituted otherwise than on a police report.

(b) Cases instituted on police report.

(c) Conclusion of the trials.

(C) Summons cases : -

(a) Procedure for trial by magistrates.

(b) Summary trial.s

(17) Evidence in Inquiries and Trials

(18) General Provisions to inquiries and trials:-

(a) Period of limitation (Chapter 36)

(b) Autrefois acquit and autrefois convict.

(c) Compounding of offences.

(d) Withdrawal from prosecution.

(e) Pardon to an accomplice.

(f) Legal aid to accused at State Expense.

(19) Bail

(20) Judgement

(21) Appeals

(22) Reference, Revisions and Transfers

(23) Maintenance of wives, children and parents.

III. Law of Torts.

1. Negligence

2. Nuisance

3. Assault
4. Battery
5. Defamation
6. Vicarious Liability including State Liability.

IV. Mercantile Law

General Principles of Law of Contract Sections 1 to 75 of the Indian Contract Act. 1872 , Law of indemnity. Guarantee Bailment pledge and Agency. Law of Sale of goods. Law of partnership.